

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 27 / 19

तारीख रजु:- 08.03.2019

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. योगीराज बर्फानी चेला अर्जुन दास जाति ब्रह्ममण निवासी बर्फानी धाम अमरकंटक सहडोल (मध्यप्रदेश) जरिए मुख्यातारआम खास रमेश चन्द दुबे पुत्र श्री दिनेश चन्द दुबे जाति ब्रह्ममण निवासी 31/03 बैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश हाल निवासी बर्फानी धाम मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. चोंदबाई पुत्री स्व0 श्री नवलसिंह जाति राजपूत निवासी मकान न0 21 सग्राम कालोनी सी-स्कीम जयपुर जरिए मुख्यतारआम श्री बैजनाथ सिंह पुत्र श्री नवल सिंह जाति राजपूत निवासी मकान न0 ए-15 आशीष बिहार जगतपुरा जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

अप्रार्थी


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम
वावत सही प्रविष्टी किए जाने
उपस्थिति:- श्री हसराम गूर्जर एडवोकेट (प्रार्थीगण)
तहसीलदार टोडाभीम पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- 19.7.19

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम जरिए मुख्यातारआम रमेश चन्द दुबे एवं बैजनाथ सिंह की और से प्रस्तुत किया है कि ग्राम गहरौली की आराजी हाल ख0न0 261/564 रकवा 0.07 है0 किस्म गैरमुम्किन नाला का प्रार्थी न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हाल जमाबन्दी सम्वत 2072-75 मे खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी न0 1 उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। ख0न0 261/564 का मूल ख0न0 261 है। ख0न0 261 के साबिक ख0न0 166,167,168,169 मिन है इस भूमि की किस्म साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2041 मे बारानी-2 दर्ज है। परन्तु दौराने सेटलमेन्ट कार्यवाही कर्मचारियो ने बिना किसी अधिकार व आदेश के उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाला दर्ज कर दी। जबकि मौके पर नाला नहीं है नाही पूर्व मे रहा है। जिसको दुरुस्त करके पूर्व की स्थिति मे किस्म बारानी-2 किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

ग्राम गहरौली के आराजी ख0न0 261/531 रकवा 0.18 है0 किस्म गैरमुम्किन नाला का प्रार्थी न0 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हाल जमाबन्दी सम्वत 2072-75 मे खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी न0 2 उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। ख0न0 261/531 का मूल ख0न0 261 है। ख0न0 261 के साबिक ख0न0 166,167,168,169 मिन है इस भूमि की किस्म साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2041 मे


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

बारानी-2 दर्ज है। परन्तु दौराने सेटलमेन्ट कार्यवाही कर्मचारियो ने बिना किसी अधिकार व आदेश के उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाला दर्ज कर दी। जबकि मौके पर नाला नहीं है नाही पूर्व मे रहा है। जिसको दुरुस्त करके पूर्व की स्थिति मे किस्म बारानी-2 किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ख0न0 261/564 रकवा 0.07 है0 261/531 रकवा 0.18 है0 स्थित ग्राम गहरौली की भूमि की किस्म गै0मु0 नाला हजफ कर किस्म बारानी-2 दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे। तथा तहसीलदार टोडाभीम को राजस्व रिकार्ड मे शुद्ध कर अमल करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब प्रस्तुत किया कि मुताबिक रिकार्ड मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2043-62 हाल ख0न0 261 साबिक ख0न0 166 मिन 167 मिन, 168 मिन, 169 मिन से बनाया गया है। साबिक रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2000-2019 मे साबिक ख0न0 की किस्म बारानी-2 दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2038-41 मे भी साबिक ख0न0 की किस्म बारानी-2 दर्ज है। मौके पर भूमि हाल ख0न0 261/531 रकवा 0.18 है0 व ख0न0 261/564 रकवा 0.07 है0, समतल है। प्रार्थी को भू-प्रबन्ध के दौरान ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीयान वकील ने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2000-2019 नकल जमाबन्दी सम्वत 2014-17, नकल जमाबन्दी आधार वर्ष 2052, नकल जमाबन्दी सम्वत 2056-59, नकल जमाबन्दी सम्वत 2060-63, नकल जमाबन्दी सम्वत 2064-67, नकल जमाबन्दी सम्वत 2068-71, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043-2062, प्रस्तुत किए है।

प्रार्थी वकील ने बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया। प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत दस्तावेजात साबिक खसरा नम्बरान की नकल जमाबन्दी का वर्णन करते हुए कथन किया कि सेटलमेन्ट कार्यवाही से पूर्व हाल भूमि ख0न0 261/531, 261/564 के मूल ख0न0 261 के साबिक खसरा नम्बरान 166,167,168,169 की किस्म बारानी-2 दर्ज है, किन्तु दौराने सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने उक्त भूमि की किस्म बारानी-2 के स्थान पर बिना किसी आदेश गै0मु0 नाला दर्ज कर दी जबकि मौके पर भूमि समतल है। अप्रार्थी तहसीलदार टोडाभीम ने भी अपने जबाब मे भूमि समतल दर्शायी है। दौराने बहस नजीर आर.आर.टी 2001 (1) पृष्ठ स. 244 प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्णित भूमि की किस्म गै0मु0 नाला के स्थान पर साबिक रिकार्ड अनुसार किस्म बारानी-2 दर्ज करने के आदेश फरमावे।


प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया एवं पैरोकार सरकार की और से प्रस्तुत जबाब एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम गहरौली के हाल ख0न0 261/564 रकवा 0.07 है0 एवं ख0न0 261/531 रकवा 0.18 है0 मूल ख0न0 261 रकवा 0.34 है0 से बने है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2064-67 के अनुसार ख0न0 261 रकवा 0.34 है0 का बटवारे के बाद नवीन ख0न0 261/564 रकवा 0.07, ख0न0 261/531 रकवा 0.18 एवं मूल ख0न0 261 रकवा 0.09 बने है। इस प्रकार मूल ख0न0 261 का रकवा 0.34 सही एवं पूर्ण है। ख0न0 261 रकवा 0.34 है0 साबिक

ख0न0 166,167,168,169 मिन रकवा 6 बीधा 14 विस्वा से तथा ख0न0 262 रकवा 12.14 है0 अन्य खसरा नम्बरो के साथ-साथ 166, 168, 169 मिन रकवा 3 बीधा 5 विस्वा एवं ख0न0 260 रकवा 0.99 है0 साबिक ख0न0 167 मिन, 168 मिन कुल रकवा 6 बीधा 12 विस्वा से बने है। साबिक जमाबन्दी सम्वत 2000-2019, सम्वत 2014-17, सम्वत 2034-37 मे दर्ज साबिक खसरा नम्बरान 166, 167, 168, 169 मे भूमि की किस्म बारानी-2 दर्ज है। जबकि हाल जमाबन्दी सम्वत 2052 से वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072-75 नवीन खसरा नम्बर 261 एवं तकास्मा के बाद नवीन कायम नम्बर 261/564 एवं 261/531 एवं 261 मे भूमि की किस्म गै0मु0 नाला दर्ज कर दी है। तहसीलदार टोडाभीम ने अपने जबाब मे भी वर्णित आराजीयात को मौके पर समतल माना है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.टी 2001 (1) पृष्ठ स. 244 कि सेटलमेन्ट आपरेशन के दौरान भूमि की किस्म, कृषको के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख मे प्रविष्टिया परिवर्तित करने का सेटलमेन्ट विभाग को अधिकार नहीं है, चस्पा होती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वावत अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम प्रविष्टी सही कराने वावत स्वीकार किया जाता है। ग्राम गहरौली की भूमि हाल ख0न0 261/564 रकवा 0.07, 261/531 रकवा 0.18 है0 मे दर्ज किस्म गै0मु0 नाला के स्थान पर बारानी-2 दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 19.7.19 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।




(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)
जिला करौली